भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1661

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

आदिवासियों पर वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का प्रभाव

†1661. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री विजय बघेल:
श्री तापिर गाव:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री काली चरण सिंह:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), माइक्रो क्रेडिट योजना और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) विशेष रुप से जनजातीय आबादी की जरुरतों को लक्षित करती है;
(ख) इन वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र, विशेषकर जलगांव, नंदुरबार और धुले जैसे खानदेश क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के बीच उद्यमिता, शिक्षा और आत्मानिर्भरता पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) क्या उक्त प्रभाव रचनात्मक एवं प्रगतिशील रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी को एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत गैर-लाभकारी लाइसेंस दिया गया था। एनएसटीएफडीसी पात्र अनुसूचित जनजातियों को किसी भी आय सृजन गतिविधि को शुरू करने और

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लचीले ऋण (सॉफ्ट लोन) प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। एनएसटीएफडीसी की योजनाएं पूरे देश में क्रियान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, निगम अपने लक्षित समूह के लिए शिक्षा ऋण योजना भी क्रियान्वित करता है।

ये योजनाएं, परियोजनाओं की इकाई लागत को ध्यान में रखते हुए, लक्षित समूह की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा, निगम ने कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों के अनुसार ऋण वितरित किए। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना-वार संवितरण और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**सावधि ऋण**		**आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना**		**स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना**		**आदिवासी शिक्षा ऋण योजना**	
	वितरित	**लाभार्थी**	**वितरित**	**लाभार्थी**	**वितरित**	**लाभार्थी**	**वितरित**	**लाभार्थी**
2021-22	166.06	91312	4.99	564	100.60	73166	1.27	59
2022-23	192.70	42175	6.44	782	98.64	29988	1.50	47
2023-24	247.80	61992	7.43	1828	94.74	31258	1.68	64

(ख) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2018-19 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से एनएसटीएफडीसी का मूल्यांकन अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में महाराष्ट्र सहित 18 राज्यों को शामिल किया गया। हालांकि उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र, विशेषकर जलगांव, नंदुरबार और धुले जैसे खानदेश क्षेत्र को कवर करते हुए कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है। अध्ययन से महाराष्ट्र सहित 18 राज्यों के अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह से संबंधित सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में समग्र सुधार का पता चला है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

सामाजिक-आर्थिक पहलू	**समग्र प्रतिशत**
घरेलू आय में सुधार हुआ	82.63
जीवन स्तर में सुधार हुआ	42.74
बच्चों को स्कूल भेजना	23.84
स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाना	19.58
सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ	33.13
कुछ भी नहीं बदला	10.57
परिवार के सदस्यों का प्रवासन काफी कम हो गया	3.88
